

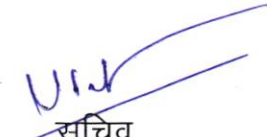


कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय परिसर, राजसमन्द
(Phone: 02952-294498, Email: dlsa30 rajsmnd@gmail.com)



क्रमांक:- जि.वि.से.प्रा./2026/3744-3766 दिनांक:- 15-06-2026
माननीय रालसा जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 15847-15890 के माध्यम से जिला मुख्यालय एवं ताल्लुका स्तर पर स्थित न्यायालयों, मंच एवं अधिकरणों में विधिक सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित की अंतिम तिथि 15.06.2026 को बढ़ाकर दिनांक 10.07.2026 सायं 5:00 तक की जाती है। विज्ञप्ति की शर्तों के तहत पात्र अधिवक्ता रालसा, जयपुर की वेबसाइट पर दिये गये लिंक(<https://rajasthan.nalsa.gov.in/panel-lawyer-recruitment/>) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर उसकी हार्डकॉपी मय आवश्यक दस्तावेज दिनांक 10.07.2026 तक संबंधित प्राधिकरण/ताल्लुका कार्यालय में जमा करावें।

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद।
2. जिला कलेक्टर, राजसमंद।
3. पुलिस अधीक्षक, राजसमंद।
4. पीठासीन अधिकारी, समस्त न्यायालय।
5. अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति,
नाथद्वारा/भीम/देवगढ़/आमेत/रेलमगरा/कुंभलगढ़ अपने-अपने नोटिस बोर्ड पर पत्र चस्पा करावें एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ
राजसमंद / नाथद्वारा / भीम / देवगढ़ / आमेत / रेलमगरा / कुंभलगढ़ अपने-अपने नोटिस बोर्ड पर पत्र चस्पा करावें एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
7. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय, राजसमंद।
8. नोटिस बोर्ड अभिभाषक संघ, समस्त बार एसोसिएशन।
9. सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमंद को भेजकर लेख है कि पत्र को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमंद।
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, राजसमंद।
12. रक्षित पत्रावली।


सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
राजसमंद।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line: 15100/9928900900
E-Mail: rlsajp@gmail.com, rs-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in/)

क्रमांक:-एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/15847-15899 दिनांक :- 13/06/2026

प्रेषक :-

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रेषित:

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

अध्यक्ष,
तालुका विधिक सेवा समिति,
समस्त राजस्थान।

विषय:- अधिवक्तागण के नवीन पैनल के गठन हेतु चयन की अंतिम तिथि बढ़ाने बाबत।
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक एफ 2(137)/2025/रालसा/ पै.अधि./DS-I/13661
13662 दिनांक 27.05.2026।

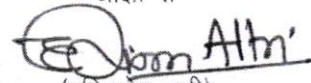
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित न्यायालयों, मंच एवं अधिकरणों में विधिक सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित की अंतिम तिथि 15.06.2026 निर्धारित की गई थी, को निर्देशानुसार दिनांक 10.07.2026 को सायं 5:00 तक के लिए एवं जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम दिनांक 18.07.2026 तक बढ़ाई जाती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक के पश्चात अंतिम तिथि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जावेगी।

चयनित पैनल अधिवक्तागण के नाम की सूची, उनके समस्त दस्तावेज एवं निर्णयों/आदेशों की प्रतियां सहित निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक इस कार्यालय को प्रेषित करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही के लिए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

नवीन पैनल तैयार करते समय अधिवक्ता की क्षमता, सत्यनिष्ठा, उपयुक्तता एवं अनुभव का विशेष ध्यान रखा जाये।

आज्ञा से



(हरि ओम अत्री)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर